न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश,गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति रेखा चौधरी, आर.जे.एस.

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 169/2017

1 चरतसिंह पुत्र श्रवण
2 नाहरसिंह पुत्र श्रवण
3 सुग्रीवसिंह पुत्र श्रवण

जाति गुर्जर निवासी रोज की ढाणी पिपलाई पी.एस. बामनवास जिला सवाई माधोपुर। प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य प्रत्यर्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.

ब.मु. एफ.आई.आर. संख्या 104/2017 पुलिस थाना बामनवास

धारा 341, 323, 143, 325, 308 भा.दं.सं.

उपस्थिति,

1. श्री मो.सैफ कलाम, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी अभियुक्तगण।
2. अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 16/06/2017

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन पेश हुआ। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

बहस आवेदन सुनी गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि परिवादी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण व अन्य के साथ मारपीट की गई, जिसका मुकदमा प्रार्थी नाहरसिंह के पर्चा बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण के कब्जेशुदा/पटटेशुदा बाडे प्लॉट की भूमि पर जान से मारने, अवैध समूह बनाकर हमला किया गया है। प्रार्थीगण व अन्य को रेखसिंह बगै. ने मारा पीटा है व सात व्यक्तियों को घायल किया है व छह चोटें धारदार रेखसिंह द्वारा पहुंचाई है। चरतसिंह के सिर पर दो चोट धारदार हैं व सुग्रीव की अंगुली का अस्थिभंग है। फ्री फाईट का मामला है, प्रार्थीगण निर्दोष हैं। अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय

लगेगा, अतः जमानत की सुविधा दी जाये। प्रार्थीगण की ओर से फर्द के साथ एमएलआर, एक्सरे व प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि की प्रतियां अपने तर्क समर्थन में पेश की गई। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थनापत्र का विरोध किया।

हमने प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 143, 308 भा0दं.सं. प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्त के साथ सामूहिक रूप से परिवादीपक्ष पर हमला करने का पर आरोप है। केस डायरी के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण को अग्रसर पार्टी बताया गया है व आरोपीगण के मकान के पीछे व परिवादी पक्ष के मकान की बगल में 80 मीटर लंबी व 30 मीटर चौडी गैरमुमकिन आबादी भूमि है, जिसमें काफी समय से एक–दूसरे द्वारा कब्जा करने का विवाद चल रहा है, दिनांक 17/05/2017 को आरोपीगण एक राय होकर उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से पहुंच गये व परिवादी पक्ष के द्वारा मना करने पर दोनों पक्षों में फ्री फाईट हुई है। पत्रावली में संलग्न चोट प्रतिवेदनों के अनुसार आहतगण के गंभीर चोटें कारित हुई है, आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, इस स्थिति में अनुसंधान के इस प्रक्रम पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थी अभियुक्तगण चरतसिंह, नाहरसिंह व सुग्रीवसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16/06/2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(रेखा चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी